

न्याय तक पहुँच के अधिकार की सीमाएँ

प्रलिस के लयल:

भारतीय न्यायपालका, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायक नयकत आयोग, वशष अनुमत याचका

मेन्स के लयल:

लंबतल वलद, मूल अधिकारों पर युक्तयुक्त परतबलध, भारतीय न्यायपालका से संबंढतल परमुख मुददे

[स्रोत: लाइवलॉ](#)

चरचा में क्योँ?

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) दवारा न्यायक समय और संसाधनों के दुरुपयोग का हवला देते हुए एक याचकाकरतता पर अनावश्यक मुकदमेबाजी के लयल जुरमाना लगाया गया ।

- इस मामले से वधकल परणाली के दुरुपयोग पर परकाश पड़ता है, जसमें याचकाकरतता ने सेवा बरखासतगी को रद करने के लयल बार-बार आधारहीन याचकाएँ दायर कीं ।

न्याय तक पहुँच के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है?

- मामले की पृष्ठभूमल: याचकाकरतता ने बार-बार खारजल होने के बावजूद औदयोगकल न्यायाधकरण, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय सहतल कई मंचों पर कदाचार के आधार पर अपनी बरखासतगी को चुनौती दी ।
 - अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचकाओं को खारजल करते हुए फोरम शॉपगल के लयल उस पर जुरमाना लगाया ।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणयः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कयदयपल न्याय तक पहुँच का अधिकार एक मूल अधिकार ([अनुच्छेद 21](#)) है, परंतु यह नरलपेकष नहीं है ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कलनावश्यक याचकाओं से न्यायक समय बरबाद होने एवं न्याय में देरी होने के साथ वधकल परणाली की शुचतल पर नकारात्मक परभाव पड़ता है ।
- न्याय तक पहुँच के अधिकार पर न्यायकल नरिणयः
 - [\[2017\] 10 S.C.R. 1, 2017](#), 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टकी कल न्याय तक पहुँच अनुच्छेद 21 और 14 के तहत एक मूल अधिकार है और इसके दवारा न्याय तक पहुँच के लयल 4 परमुख घटकों की पहचान की गईः
 - परभावी न्यायकल तंत्र ।
 - दूरी के संदर्भ में उचतल पहुँच ।
 - त्वरतल नरिणय ।
 - न्यायकल परकरयल तक सुलभ पहुँच ।
 - [\[2017\] 10 S.C.R. 1, 2017](#), 1996 [\[2017\] 10 S.C.R. 1, 2017](#), सर्वोच्च न्यायालय ने जासूसी के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे एक सेवानवृत्त नौसेना कप्तान की याचकाएँ खारजल कर दीं ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव के कारण उनके धोखाधडी के दावों को खारजल कर दयल, न्यायकल अंतमलता को बरकरार रखा और यह नरिणय दयल कलबलनल नए साक्ष्यों के उच्च न्यायालय के फैसलों को अंतहीन चुनौती नहीं दी जा सकती ।

और पढ़ें: [सर्वोच्च न्यायालय ने SLP नपलटान को पराथमकलता दी](#)

न्याय तक पहुँच के अधिकार से संबंढतल परावधान क्या है?

■ संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार): अनुच्छेद 14 वधि के समक्ष समता और वधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या न्याय तक पहुँच के अधिकार को शामिल करते हुए की है, ताकि यह सुनिश्चिती कया जा सके कि सभी व्यक्तियों को बनिा कसिी भेदभाव के वधिकि संरक्षण पाने का समान अवसर मिले।
- अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तगित स्वतंत्रता का अधिकार): अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चिती करता है कि व्यक्ती अपनी शकियातों के लयि न्यायकि उपचार प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार उनकी व्यक्तगित स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा होती है।
 - अनुच्छेद 39A (निःशुल्क वधिकि सहायता): अनुच्छेद 39A निःशुल्क वधिकि सहायता प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चिती कया जा सके कि कसिी भी नागरकि को आर्थकि या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचिती न होना पड़े।
 - इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना है, यह वशिष रूप से समाज के वंचिती वर्गों पर केंद्रिती है।
 - अनुच्छेद 32 और 226: अनुच्छेद 32 और 226 पीड़िती पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर न्याय तक पहुँच के अपने अधिकार को लागू करने की अनुमति देता है।

■ वधिकि ढाँचा:

- वधिकि सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987 ने समाज के वंचिती वर्गों को मुफ्त वधिकि सहायता प्रदान करने के लयि नालसा की स्थापना की।
 - अधनियिम की धारा 12 के अंतर्गत पात्र समूहों में महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचिती जाती/अनुसूचिती जनजाती, वकिलांग व्यक्ती और नमिन आय वाले व्यक्ती शामिल हैं, जसिसे कमजोर आबादी के लयि कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चिती होता है।
- लोक अदालतें अधनियिम के अंतर्गत त्वरिती एवं सुलभ विवाद समाधान उपलब्ध कराती हैं।
 - टेली-लॉ हाशारे पर स्थिती समुदायों को वधिकि परामर्श प्रदान करता है, जबकि ई-लोक अदालतें उन लोगों के लयि पहुँच सुनिश्चिती करती हैं जो भौतिक सुनवाई में भाग लेने में असमर्थ हैं।

■ लोकहिती वाद (PIL):

- लोकहिती वाद से सुने जाने के अधिकार (locus standi) का वसितार हुआ, जसिसे न केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभाविती व्यक्तियों को अपति जनहितीषी व्यक्तियों या संगठनों को भी अधिकारों को प्रवर्तित करने के हेतु मामले दर्ज कराने की सुविधा मिली।
- उदाहरण: 1987 दलिी में पर्यावरण प्रदूषण पर दायर पहला लोकहिती वाद था।

1987 दलिी में पर्यावरण प्रदूषण पर दायर पहला लोकहिती वाद था।

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका में मामलों के लगातार लंबिती रहने के मुद्दे पर चर्चा कीजिये और इसे हल करने के लयि पर्याप्त उपायों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

1987 दलिी में पर्यावरण प्रदूषण पर दायर पहला लोकहिती वाद था।

प्रश्न. नमिनलिखिती कथनों पर वचिार कीजिये: (2019)

1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायकि पुनरावलोकन से परे कर दिया।
2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वखिंडिती कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण के संदर्भ में नमिनलिखिती कथनों पर वचिार कीजिये: (2013)

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम वधिकि सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
2. यह देश भर में वधिकि कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लयि राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरणों को निर्देश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

प्रश्न. निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतपादन में राष्ट्रीय वधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिये। (2023)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/limits-to-the-right-to-access-justice>

